



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249376
CG-DL-E-13102023-249376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4320]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945

No. 4320]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(कार्मिक-I अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4491(अ).—29 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र में एसओ 2024 (ई) के जरिए प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 7 फरवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 2(1)/2017-कार्मिक I(पार्ट) के अतिक्रमण में और सूचना प्रौद्योगिकी (जनसाधारण द्वारा सूचना के अभिगम के अवरोधन के लिए कार्यविधि और सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2009 के नियम 3 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 69क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री संकेत एस भोंडवे, आईएएस (2007), संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003 को उक्त नियमों के प्रयोजन से पदनामित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत और पदनामित करती है।

[फा. सं. 2(1)/2017-कार्मिक-I (पार्ट)]

आकाश त्रिपाठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माईगव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Personnel-I Section)****NOTIFICATION**

New Delhi the 11th October, 2023

S.O. 4491(E).—In supersession of this Ministry's Notification No. 2(1)/2017-Pers.I (Pt.) dated 7th February 2022 published in the Gazette of India vide S.O. 2024(E) on 29th April 2022 and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 69A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 3 of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, the Central Government hereby authorises and designates Shri Sanket S Bhondve, IAS (2007), Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6 Central Government Offices Complex, New Delhi - 110003, as the Designated Officer for the purpose of the said rules.

[F. No. 2(1)/2017-Pers.I (Pt.)]

AKASH TRIPATHI, CEO, MyGov